भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3261
दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

कैंसर रोगियों के लिए दवाएं

3261. श्रीमती पूनम महाजन:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में वर्ष दर वर्ष और विशेषकर समाज के निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग में कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;
(ख) यदि हां, तो क्या कैंसर की दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अनुसूची में कैंसर की कतिपय दवाओं की अधिसूचना जारी की है और मूल्य सीमा निर्धारित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है कि दवा कंपनियों द्वारा कैंसर की दवाओं का बड़े पैमाने पर विनिर्माण किया जाए और उन्हें किफायती दरों पर उपलब्ध और वितरित किया जाए?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क): वर्ष 2020 के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की नवीनतम राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम की रिपोर्ट (एनसीआरपी) के अनुसार, कैंसर के अनुमानित घटना मामले और मृत्यु दर के वार्षिक आंकड़ें निम्नानुसार हैं:

--2/-

वर्ष	2017	2018	2019
कैंसर मामलों की अनुमानित घटना	12,92,534	13,25,232	13,58,415
कैंसर मामलों की अनुमानित मृत्यु दर	7,15,010	7,33,139	7,51,517

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 के लिए देश में कैंसर के मामलों की घटनाओं की अनुमानित संख्या लगभग 15.7 लाख है।

(ख) और (ग): औषध विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने राष्ट्रीय आवश्यक दवाईयों की सूची, 2015 (एनएलईएम, 2015) के अधीन 86 कैंसर-रोधी अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने आदेश का.आ. 1041 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2019 के द्वारा 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण' दृष्टिकोण के तहत 42 चुनिंदा गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाइयों के व्यापार मार्जिन पर अधिकतम सीमा लगाई है। इस दृष्टिकोण से, इन दवाइयों के 526 ब्रांडों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) 90% तक कम हो गई है। इस कदम के परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 984 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई। संशोधित मूल्य का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ): सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कैंसर के लिए अनुसूचित दवाइयां एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक नहीं बेची जाती हैं और गैर-अनुसूचित दवाइयां पिछले 12 महीनों में एमआरपी में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं करती हैं। औषधि (मूल्य) नियंत्रण आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक के मामले में विनिर्माताओं द्वारा अधिप्रभार की राशि जमा करने का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और दवाइयों के वितरण को विनियमित करने के लिए, डीपीसीओ के विद्यमान प्रावधानों में अनुसूचित फॉर्मूलेशन और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के विनिर्माताओं को निर्देश जारी करने का प्रावधान है, जो कि आपात स्थिति में या तात्कालिक परिस्थितियों में जनहित में अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसूचित फॉर्मूलेशन में शामिल हैं।

*****